(87)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरणं कमांक............ R 120 - PBR/17

श्री राम प्रेमचन्द्र शर्मा द्वारा आज दि. 6.1.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रतापसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत वयश्क धंधा कास्तकारी निवासी कस्वा कुम्भराज जिला गुना म0प0 —निगरानीकर्ता/ आवेदक

विपरीत

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम कुम्भराज ———— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959।

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महो0 कुम्भराज के प्र0 कं0 28अ68/16–17 मे पारित आदेश दिनांक 29–12–16 से व्यथित होकर ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 120–पीबीआर/17 **जिला** गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–12–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 248 के प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत प्रारंम्भिक आपत्ति लगाई गई है, जो कि साक्ष्य का हिस्सा है, जिसका निराकरण प्रकरण में साक्ष्य के बाद ही अन्तिम निराकरण करते हुए ही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिए कि वह संहिता की धारा 248 के प्रकरण में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करे तथा अपने पक्ष की साक्ष्य में उक्त समस्त बिन्दु/प्रमाण पेश कर सकता है । अतः प्रारम्भिक स्तर पर आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अमान्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	